# कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, हापुड।

पत्रांक– C–2370 / जि0का0अ0 / आ0बा0चयन0 / 2025–26 / दिनांक– 3/11/2025

## सूचना विज्ञप्ति

शासनादेश संख्या– / 2025 / 3313 / 58–1–2025(1917687) दिनांक 17 सितम्बर 2025 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद हापुड में बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग के अन्तर्गत संचालित बाल विकास परियोजनाओं में आँगनवाडी कार्यकत्रियों के रिक्त पदों पर मानदेय पर नियुक्ति / चयन महिला अभ्यर्थिनी के आवेदन पत्र विभागीय वेबसाइट **upanganwadibharti.in** पद पर ऑनलाइन दिनांक 04.11.2025 से दिनांक 20.11.2025 तक आमंत्रित किये जाते हैः–

| क्र0सं0 | परियोजना का नाम | आंगनवाड़ी कार्यकत्री के रिक्त पद |
|---|---|---|
| 1 | हापुड़ | 13 |
| 2 | गढ़मुक्तेश्वर | 13 |
| 3 | सिम्भावली | 08 |
| 4 | धौलाना | 09 |
| | योग | 43 |

चयन हेतु पात्रता / अर्हता / शर्ते निम्नवत् है–

1–ऑगनवाडी कार्यकत्रियों हेतु शैक्षिक योग्यता न्यूनतम इण्टरमीडिएट या उसके समकक्ष होना अनिवार्य है।

2– उपरोक्त पद पूर्णतः मानदेय पर आधारित है, जिसमें ऑगनवाडी कार्यकत्री को रू० 4500 / – प्रतिमाह देय है।

3–शासनादेश संख्या 2025 / 3313 / 58–1–2025(1917687) दिनांक 17 सितम्बर 2025 के अनुसार न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष होगी। आयु के सम्बन्ध में आंगनवाडी कार्यकत्रियों के लिए हाई स्कूल प्रमाण–पत्र मान्य होगा।

4–आवेदिका के लिए यह अनिवार्य होगा कि ग्रामीण क्षेत्र में उसी ग्राम सभा की निवासी हो जहाँ ऑनलाइन रिक्त पद का नाम यथा ऑगनवाडी कार्यकत्री जैसा भी लागू, हो तथा प्रत्येक पद के सापेक्ष उसका आरक्षण (वार्टिकल / हॉरिजेन्टल) जैसा भी लागू हो, अन्यथा की दशा में आपके आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।

5–विधवा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी / सम्बंधित नगर निकाय द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाण पत्र एवं परिवार पंजिका की प्रमाणित नकल मान्य होगी।

6–तलाकशुदा / परित्यक्ता के सम्बुध में मा0 न्यायालय द्वारा निर्गत विधिक आदेश मान्य होगे।

7– निवास एवं आय के सम्बन्ध में उपजिलाधिकारी / तहसीलदार के स्तर से निर्गत प्रमाण–पत्र ही मान्य होंगे जिसका ऑनलाइन सत्यापन सम्भव हो।

8–एक आंगनवाडी केन्द्र पर एक ही परिवार की दो महिलाओं की नियुक्ति आंगनवाड़ी कार्यकत्री व सहायिका के पद पर नहीं की जायेगी।

9–आवेदन के सम्बन्ध में अर्हताएं व शर्तों की विस्तृत जानकारी के लिए कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास, कमरा नं०–2 विकास भवन, भूतल, हापुड एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी, कार्यालय तथा विभागीय वेबसाइट **upanganwadibharti.in** पद पर अवलोकित किया जा सकता है।

03/11/2025

जिला कार्यक्रम अधिकारी
हापुड़।

विज्ञप्ति के लिए नहीं

कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, हापुड़।

पृष्ठांकन संख्या सं0 /               /जि0का0अ0/आ0बा0चयन/2025–26/तददिनांक

प्रतिलिपिः—निम्नलिखित की सेवा में सादर सूचनार्थ।

1. निदेशक महोदया, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0 लखनऊ।
2. जिलाधिकारी महोदय, हापुड़।
3. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, हापुड़।
4. जिला सूचना अधिकारी, हापुड़ को इस निवेदन के साथ कि वह उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन स्थानीय समाचार पत्रों (दैनिक जागरण व अमर उजाला) में कराने का कष्ट करें।
5. सम्पादक, दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण/अमर उजाला को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त विज्ञप्ति का विज्ञापन न्यूनमत स्थान एवं न्यूनतम शासकीय दरों के साथ अपने समाचार पत्र में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
6. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, जनपद हापुड़ को इस निर्देश के साथ कि उक्त विज्ञाप्ति को अपने कार्यालय के सूचना पट पर चस्पा कराने का कष्ट करें।
7. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी, जनपद हापुड़ को इस निर्देश के साथ कि उक्त विज्ञाप्ति के साथ आरक्षण की सूची सूचना पट पर चस्पा करें। तथा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय तहसील कार्यालय पर भी चस्पा करायें। साथ ही सम्बन्धित ग्राम प्रधान से अपने ग्राम की पात्र महिला आवेदिका के आवेदन कराने हेतु अपने स्तर से सूचित करें

जिला कार्यक्रम अधिकारी
हापुड़।